# अष्टादश बिहार विधान सभा

## द्वितीय सत्र

## ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-27.02.2026 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

| क्र० सं० | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री वीरेन्द्र कुमार, स०वि०स०<br>सुश्री मैथिली ठाकुर, स०वि०स०<br>श्री अनिल सिंह, स०वि०स०<br>श्री जनक सिंह, स०वि०स०<br>श्री मिथिलेश तिवारी, स०वि०स०<br>श्री संजय कुमार सिंह, स०वि०स०<br>श्री राजेश कुमार सिंह, स०वि०स०<br>श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह, स०वि०स०<br>श्री रणधीर कुमार सिंह, स०वि०स०<br>श्री जिवेश कुमार, स०वि०स०<br>श्री तारकिशोर प्रसाद, स०वि०स०<br>श्री सुभाष सिंह, स०वि०स०<br>श्री वैद्यनाथ प्रसाद, स०वि०स०<br>श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय, स०वि०स०<br>श्री मुरारी पासवान, स०वि०स०<br>श्री कर्णजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह, स०वि०स०<br>श्री रोहित पाण्डेय, स०वि०स०<br>श्री कुमार शैलेन्द्र स०वि०स० | "देश के कई प्रमुख राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात सहित अन्य प्रदेशों में विधि विरूद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 (संशोधित 2024) के अन्तर्गत धर्म परिवर्तन के विरूद्ध कड़े कानून लागू है । धोखाधड़ी, बल-विवाह, प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन के विरूद्ध इस कानून के अन्तर्गत 01-10 या 20 वर्षों तक सजा का प्रावधान है और यह सभी अपराध गैर जमानती हैं । इस कानून का उपयोग मुख्य रूप से विवाह के बहाने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए किया जा रहा है । धर्मांतरण के कारण बिहार में मुसलमानों और ईसाई की जनसंख्या में असामान्य वृद्धि हुई है । बिहार में 5000 से अधिक चर्च की स्थापना हो चुकी है । ईसाईयों का राष्ट्रीय स्तर पर ग्रोथ रेट 15.52 प्रतिशत है वहीं बिहार में 143.23 फीसदी है । इसी प्रकार सीमावर्ती कई जिलों के क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है । बिहार राज्य के अन्तर्गत सभी जिलों में विवाह के बहाने धर्मांतरण, बल-विवाह, प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन, ईसाई मिशनरियों और इस्लामिक धर्म गुरूओं द्वारा धड़ल्ले से कराया जा रहा है । इसके कारण सर्वाधिक SC/ST/EBC/OBC एवं सामान्य वर्गों की युवतियाँ ज्यादा शिकार हो रही हैं ।<br>अतः उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य 11 राज्यों के तर्ज पर बल-विवाह, प्रलोभन, जबरन धर्मांतरण को रोकने एवं कड़े कानून बनाने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।" | गृह |

| क्र० सं० | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | डॉ० सुनील कुमार, स०वि०स० श्री सियाराम सिंह, स०वि०स० | "बिहार में प्रजापति (कुम्हार) जाति की बड़ी आबादी मिट्टी के बने मूर्ति एवं बर्तन आदि उद्योग से जुड़े हैं। देश के विभिन्न राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में प्रजापति (कुम्हार) जाति के कल्याण के लिए माटीकला बोर्ड का गठन किया गया है, जो प्रजापति (कुम्हार) जाति के विकास के लिए कार्य करता है।<br>अतः राज्य के लाखों प्रजापति (कुम्हार) जाति के परिवारों के चहुँमुखी विकास के लिए बिहार में भी माटीकला बोर्ड के गठन करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ।" | सामान्य प्रशासन |

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-18/2026- 137 /वि०स०, पटना, दिनांक-26 फरवरी, 2026 ई०।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-18/2026- 137 /वि०स०, पटना, दिनांक-26 फरवरी, 2026 ई०।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-18/2026- 137 /वि०स०, पटना, दिनांक-26 फरवरी, 2026 ई०।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / गृह विभाग/ सामान्य प्रशासन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-18/2026- 137 /वि०स०, पटना, दिनांक-26 फरवरी, 2026 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

26.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

26/02/2026